FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ .... बनाम ......कमली.......................

करम मुकदमा .... नं0 ......77/19............ सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। (signature)	
12.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारो ने अपनी आराजी में हिस्से नहीं होने से बताया कि उनके सभी सह-खातेदारो ने आपसी सहमति से हिस्से बताये जो निम्न है। ग्राम बानोड़ा आराजी नं. 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736 (कि) 8 रकबा 1.25 हे० भूमि मे कमली पत्नी लाडुलाल कस्तुरीबाई पत्नी भगवानलाल गीता पत्नी ~~रामचन्द्र~~ सीताबाई पत्नी	सोहनलाल नाथुलाल चैनीलाल मोहन ~~शोहन~~ रामेश्वर गोपाल लाल (thumb impression) नि. एमनबाई (thumb impression) नि. शामीबाई (thumb impression) नि. कमली

Scanned by CamScanner

कार्यालय तहसील
क्रमांक: भू.अ./2019/1985
प्रेषिति

~~रामचन्द~~ शम्भुलाल रेगर का हि० 7/80

धापु कुंवर रामचन्द्र सत्यनारायण लाभचन्द पि० पारसचन्द का हिस्सा 9/80 भांति होगा साथ ही खातेदार। हमने यह हिस्से व खातेदारो द्वारा बताये गये हिस्से मजमे आम में रखा गया। जिसमें इन्होंने भी इसी हिस्से पर सहमति प्रकट की गई।

अतः सहखातेदारो की सहमति व तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश / परिपत्र / क्रमांक / BR/ LR/NLRMP F-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.9.17 के अनुसार उनके पूर्व वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदारी घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से जमा हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़) 19

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 77/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

........................वादी

बनाम

1. कमली पत्नि लादूलाल रेगर निवासी बनोडा तह0 बेगूँ
2. कस्तुरी पत्नि भगवानलाल रेगर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. गीता पत्नि ताराचंद्र रेगर निवासी बनोडा तह0 बेगूँ
4. सीताबाई पत्नि शम्भूलाल रेगर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बनोडा तह0 बेगूँ
6. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

................प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 7

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/ बीआर/एलआर/एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 1225 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम बानोडा में खाता संख्या 21 संवत 2071–74 में दर्ज आराजी नं. 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736 किता–8 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि श्री कमली पत्नि लादुलाल, कस्तुरी पत्नि भगवानलाल ,गीता पत्नि ताराचन्द, सीताबाई पत्नि शम्भुलाल रेगर धापू पुत्री रामचन्द्र , सत्यनाराण लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा सा.देह के नाम दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

Scanned by CamScanner

पक्षकारो को सुना गया। प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा ग्राम बानोडा में वाद वर्णित आराजी किता 8 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है एवं चम्पालाल जी के वारिसान चार पुत्रो गोविन्द, दौला, रतना , चंदन पिता चम्पालाल के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। गोविन्द, दोला, रतना व चंदन फोत होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। मोडी बेवा गोपी कालू राजू पिता दोला नाथू पितादेवी सोसर मोत्या गटू दुख्तर देवी नंदू बेवा देवी, चुन्नीलाल पिता गोविन्द , रतना मोहन पिता भूरा, कमली रूकमणी भूली दुख्तर भूरा, जडाई बेवा भूरा, गोपाल सोहन पिता बालू, रामी बेवा बालू, कमली बेवा उँकार, काना पिता चंदन , काना पिता चंदन ने अपना 71/80 हिस्सा कमली पत्नि लादुलाल, कसतूरी पत्नि भगवानलाल , गीता पत्नि ताराचंद्र , सीताबाई पत्नि शंभुलाल रेगर को विक्रयकिया है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो ने बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्सेदर्ज किये गए एवं सजरे एवं सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवान हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी किता 50 रकबा 7.60 हैक्टर श्री गोविन्द, दोला, रतना पिता चम्पा, नंदा काना पिता चंदन दरोगा सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत नामान्तरण सं. 11 से दोला के बजाय गोपी कालू रामचंद्र राजू पिता दोला, नामा.सं. 12 से रतना के बजाय उँकार पिता रतना , ना.सं. 361 से गोविन्द के बजाय देवी मोडा चुन्नीलाल भूरा बालू पिता गोविंन्द ,ना.सं. 206 से नंदा के बजाय भेरू काली पिता नंदा राधा पत्नि नंदा , नामा.सं. 170 से देवी के बजाय सोहनी पिता मोडा, भूरा के बजाय रतना मोहन कमली रूकमणी भूली पिता भूरा जडाई बेवा भूरा बालू के बजाय गोपाल सोहन कंचनी पिता बालू, रामली पत्नि बालू, रूपी के बजाय मोडीबाई पत्नि गोपी रामचंद्र के बजाय धापू पिता रामचंद्र ,उँकार` बजाय कमली पत्नि उँकार नामा.सं. 272 से सोहनी पिता मोडा के बजाय सत्यनारायण, लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र नामा.सं. 668 से काना पिता चंदन के बजाय रामेश्वरलाल, रूकमाबाई पिता कन्हैयॉलाल, हीरीबाई पत्नि स्व. कन्हैयॉलाल, नामा.सं. 350 विक्रय से कमली पत्नि लादूलाल, कस्तूरी पत्नि भगवानलाल, गीता पत्नि ताराचंद्र, सीताबाई पत्नि शम्भुलाल, 71/80 दर्ज हुआ। मजमें आम में सजरा अनुसार खातेदारो के हिस्से की जानकारी जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी किता–8 रकबा 1.25 हैक्टर सामलाती आराजी है। अतः मजमे आज में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमति से मौजा बानोडा की आराजी किता–8 रकबा 1.25 हैक्टर में हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी संख्या 726, 729, 730, 731,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

732, 733, 734, 736 किता–8 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि में कमली पत्नि लादूलाल, कस्तूरीबाई पत्नि भगवानलाल, गीता पत्नि ताराचंद्र ,सीताबाई पत्नि शम्भुलाल रेगर का हिस्सा 71/80, धापू दुख्तर रामचन्द्र, सत्यनारायण, लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र का हिस्सा 9/80 जाति दरोगा साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूं को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

12.7.19

(रमेश रारिवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या : 77/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौड़गढ़

......................वादी

बनाम

1. कमली पत्नि लादूलाल रेगर निवासी बनोडा तह0 बेगूँ
2. कस्तुरी पत्नि भगवानलाल रेगर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
3. गीता पत्नि ताराचंद्र रेगर निवासी बनोडा तह0 बेगूँ
4. सीताबाई पत्नि शम्भूलाल रेगर निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
5. धापू पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी बनोडा तह0 बेगूँ
6. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ
7. लाभचन्द पिता प्यारचन्द दरोगा निवासी बानोडा तह0 बेगूँ

(मुहर: सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौड़गढ़)

...............प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम बानोडा की आराजी संख्या 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736 किता–8 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि में कमली पत्नि लादूलाल, कस्तूरीबाई पत्नि भगवानलाल, गीता पत्नि ताराचंद्र ,सीताबाई पत्नि शम्भुलाल रेगर का हिस्सा 71/80, धापू दुख्तर रामचन्द्र, सत्यनारायण, लाभचन्द्र पिता प्यारचन्द्र का हिस्सा 9/80 जाति दरोगा साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

(हस्ताक्षर) 12.7.19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

(मुहर: सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़))

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner